जिला स्तरीय समारोह में 97 जनों का होगा सम्मान

उदयपुर, (कासं)। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर उदयपुर जिला मुख्यालय पर आयोजित समारोह में जिले में उल्लेखनीय कार्यों व सेवाओं के लिए 97 जनों को सम्मानित किया जाएगा।

जिला कलक्टर अरविंद पोसवाल ने बताया कि उत्कृष्ट कार्य के लिए पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के उपनिदेशक रविप्रकाश लांबा, महिला सुरक्षा सखी राजकुमारी मेनारिया, टीएडी विभाग की अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी दामिनी श्रीमाल, आईजी ऑफिस के सहायक लेखाधिकारी द्वितीय अरूण चौबीसा, तहसील गिर्वा के पटवारी चंचल दोशी, वरिष्ठ अध्यापक राधेश्याम मारू, आईआईएम उदयपुर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शानु लोढ़ा जैन, मेवाड़ एज्युकेशन प्राईवेट लिमिटेड, डीपीएस की विद्यार्थी सुश्रुथा बासकरन, सामाजिक कार्यक्रर्मा दिनेश कुमार जैन, शहीद मेजर मुस्तफा के माता-पिता श्रीमती फातिमा एवं जकीयुद्दीन बोहरा, सामाजिक कार्यकर्ता विजयपाल को सम्मानित किया जाएगा।

इसी प्रकार एफएफ तड़का रेडियो के आरजे अर्पित जैन, एनआईसी के कनिष्ठ अनुदेशक डॉ. प्रणय जोशी, केवीके के विषय विशेषज्ञ डॉ. भगवत सिंह चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता संजय बजाज, यूडीए के प्रोग्रामर खुशपाल सिंह राठौड़, उपखण्ड कार्यालय गिर्वा के सहायक प्रशासनिक अधिकारी मलय द्विवेदी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सर्वेक्षण व गुणनियंत्रण खण्ड उदयपुर के वाहन चालक अमृतलाल, एडीएम सिटी कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दूदालाल डांगी, सीएचसी पदराड़ा गोगुन्दा के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अंकित पुरोहित, कृषि उपज मण्डी के कनिष्ठ सहायक हीरालाल औदिच्य, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. भगवती शंकर व्यास, खाद्य विज्ञान एवं पोषण एवं व्यावहारिक विज्ञान महाविद्यालय की सहायक आचार्य डॉ. कमला महाजनी, देवस्थान विभाग के निरीक्षक सुनील कुमार मीणा, कला आश्रम के छात्र मधुरम खत्री को सम्मानित किया जाएगा।

वहीं कला महाविद्यालय की छात्रा ईशा उदावत, पेसिफिक मेडिकल कॉलेज के एडवांस स्किल एंड सिमूलेशन विभागाध्यक्ष डॉ. दीपक जोशी, समाजसेविका तारिका भानुप्रताप सिंह धायभाई, कयाकिंग खिलाड़ी व प्रशिक्षक निश्चय सिंह चौहान, सहायक पर्यटन अधिकारी नीलू राठौड़, न्यूज 18 डिजीटल की पत्रकार निशा राठौड़, दैनिक भास्कर के पत्रकार करणसिंह सोलंकी, अधिवक्ता बंशीलाल गवारिया व कुंदन सिंह सोनी, सेन्ट्रल एकेडमी की छात्रा प्राची जोशी, समिधा संस्थान, आरटीओ कार्यालय के सहायक प्रोग्रामर अभिवन पाटीदार, अध्यापिका एवं स्काउट गाइड शिप्रा चतुर्वेदी, एमजी कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. स्नेहा बाबेल, सामाजिक कार्यकर्ता राकेश पोरवाल, दिगंबर जैन उमावि की प्रधानाचार्य कला करणपुरिया, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक के प्रशासनिक अधिकारी अजय कोठारी, एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर के सहायक प्रशासनिक अधिकारी जितेन्द्र शर्मा, वरिष्ठ सहायक कमल सिंह भाटी, कनिष्ठ सहायक बलदेव कुमार मीणा व कालूलाल धोबी, पत्रकार शांतिलाल जैन, एसपी ऑफिस के वरिष्ठ सहायक ललित कुमार व कनिष्ठ सहायक अनिरूद्ध सिंह, लोक कलाकार बक्सीराम पारगी, राउप्रावि उमारियाफला गिर्वा की अध्यापिका कोमल मेहता, प्रगतिशील कृषक लहरपुरी गोस्वामी, गणेशलाल डांगी व मदनलाल व्यास, आयुर्वेद कंपाउंडर रामसिंह राजपूत, पुलिस लाइन के शेफ राधा गोस्वामी, उदयपुर सहकारी थोक भंडार लिमिटेड के फार्मासिस्ट राकेश नंदावत, तीरंदाजी खिलाड़ी नित्यश्री अहारी, नगर निगम के सहायक अभियंता निर्माण सुनील प्रजापत, नगर निगम के सफाई कर्मचारी प्रकाश पुत्र जगदीश व शहजाद पुत्र सिराज, योग प्रशिक्षण अजय सिंह, एसबीआई प्रबंधक सूर्यभान सिंह राठौड़, प्रगतिशील कृषक ललित सिंह भाटी, पत्रकार गोपाल कुमार लोढ़ा, पर्वतारोही आर्या सिखवाल को सम्मानित किया जाएगा।

इसी प्रकार राउमावि भानपुरा के वरिष्ठ अध्यापक राजेन्द्र कुमार व्यास, राबाउमावि रेजीडेंसी की प्रधानाचार्या रंजना मिश्रा, आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉ. कुशल बाबू गहलोत, एमबी अस्पताल की वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर श्रीदेवी एम व पुष्करलाल, पीडब्ल्यूडी के अधिशाषी अभियंता अशोक उपाध्याय, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी डॉ. अनुज भटनागर, बाल चिकित्सालय के आचार्य डॉ. बी.एल. मेघवाल, क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम महेन्द्र सिंह, प्रवेन्द्र सिंह, बेलदार प्रेमदेवी लौहार, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय चन्द्रप्रकाश, जिला परिषद के अतिरिक्त विकास अधिकारी ग्यारसी लाल शर्मा, संस्कृति विकास संस्थान, रसद कार्यालय की प्रर्वतन अधिकारी मानसी पंड्या, लेक्रोज प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त करने वाली टीम की कप्तान सुनीता मीणा, खिलाड़ी डाली गमेती, जुलाकुमारी गुर्जर, मीरा दौजा, विशाखा मेघवाल, हेमलता डांगी, दीपिका बामणिया आदि को सम्मानित किया जाएगा।

ट्रेक्टर रैली में छाया आजादी के महोत्सव का उल्लास

डूंगरपुर, (निसं)। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत जिले भर में रैली, पेंटिंग प्रतियोगिता, क्विज और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

इसी कडी में बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। जिला कलक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने एसबीपी कॉलेज, डूंगरपुर से ट्रेक्टर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टेक्ट्रर पर सवार किसानों ने भारत माता की जय, जय जवान-जय किसान, हर घर तिरंगा लहराएंगे का उद्घोष किया।

रैली में बाल वाहिनियों में स्कूली बच्चे भी उत्साह और उमंग के साथ तिरंगा झंडा हाथ में थामकर आजादी के उत्सव में शामिल हुए। ट्रेक्टर रैली तहसील चौराहा, कलक्ट्रेट, हॉस्पिटल चौराहा होते हुए राजमाता विजया राजे सिंधिया ऑडिटोरियम पहुंचकर संपन्न हुई। ट्रेक्टरों पर शान से लहराते तिरंगे और देशभक्ति गीतों की स्वर लहरियों के बीच लगभग एक किलोमीटर लंबी ट्रेक्टर रैली को देखकर पूरा माहौल देशभक्ति के भाव से सराबोर हो गया।

बैठक 16 को

डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चौरासी के रिक्त पद पर निर्वाचन के लिए विधानसभा उप चुनाव-2०24 को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराए जाने के लिए विभिन्न प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी,अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारियों की बैठक 16 अगस्त को सायं 4 बजे जिला कलक्टर कार्यालय के ईडीपी सभागार में आयोजित की जाएगी। जिसमें समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कुलराज मीणा ने रिटर्निंग अधिकारी चौरासी को स्वयं एवं आपके कार्यालय से निर्वाचन संबंधी कार्य संपादित कर रहे अधिकारियों एवं कार्मिकों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

मजदूरों ने किया प्रदर्शन

डूंगरपुर, (निसं)। बिल्डिंग वर्कर्स-कारीगर मजदूर यूनियन सीटू जिला कमेटी की ओर से बुधवार को बादल महल रोड पार्क में श्रमिक कार्ड धारक मजदूरो ने यूनियन अध्यक्ष जीवा भाई के नेतृत्व ने बैठक सम्पन्न हुई तथा पार्क से रैली निकाल कर श्रम विभाग कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर श्रम विभाग अधिकारी को मजदूरो की 14 सूत्रीय मांग पत्र सौपा। मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड को रद्द करने, निर्माण मजदूर के जमा सेंस बजट को अन्य कर्यों में खर्च नहीं किया जाए।

एक्ट 1996 और प्रवासी मजदूर कानून एक्ट 1970 की रक्षा करने,श्रमिक योजना शुभ शक्ति के बंद पोर्टल को चालू कर मजदूरों द्वारा श्रम विभाग में वर्ष 2014 से 2016 तक विवाह सहायता राशि व 2016 से 2020 तक मिलने वाली शुभ शक्ति योजनाओं की राशि,मजदूर व कारीगरों के खातों में भुगतान करने, 2011 से 2016 तक ऑफ लाइन वंचित श्रमिक डायरी का सत्यापन कर श्रमिक कार्ड का ऑनलाइन नंबर जारी करने, वास्तविक निर्माण मजदूर का श्रम विभाग में पंजीयन करने और पात्र मजदूर को सरकार की योजना का लाभ देने के लिए श्रम विभाग की सभी प्रकार की योजनाओं के आवेदनों को रजिस्टर्ड निर्माण मजदूर यूनियानो के अध्यक्ष महामंत्री के हस्ताक्षर कर सत्यापन करने के बाद ही श्रम विभाग में सरकार की योजना के लाभ और श्रमिक कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन ऑफ लाइन मान्य करने, श्रमिकों के 9० दिन के कार्यों का सत्यापन संबंधित लेबर इंस्पेक्टर द्वारा मजदूरों के कार्य स्थल व निवास स्थान पर यूनियन के अध्यक्ष महामंत्री के साथ जाकर करने तथा सत्यापन रिपोर्ट को निर्माण मजदूर यूनियन के अध्यक्ष महामंत्री हस्ताक्षर करने के बाद ही सत्यापन की सरकार द्वारा मान्यता देने की मांग की। इस मौके पर सीटू के संयोजक भीमचंद कोटेड, मजदूर नेता कॉ विमल आदि उपस्थित रहे।

कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कपासन जिला- चित्तौड़गढ़

क्रमांक :-एएएम/2024-25/406 दिनांक:-13.08.2024

योगा प्रशिक्षक की आवश्यकता

आयुष्मान भारत योजना के अर्न्तगत खण्ड, कपासन के अधीन संचालित 4 आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 25 उपकेन्द्र पर वित्तीय वर्ष 2024-25 (माह अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक) के अन्तर्गत प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर माह में 10 न्यूनतम योगा सत्र (प्रतिदिन 1 घंटा/ माह में 10 दिन) प्रति योगा सत्र 250 रुपये के आधार पर करवाये जाने हेतु योगा प्रशिक्षकों की आवश्यकता है, निर्धारित योग्यता रखने वाले योगा प्रशिक्षक दिनांक 20 अगस्त 2024 दोपहर 2 बजे तक आवेदन मय दस्तावेज व्यक्तिशः खण्ड कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। योगा प्रशिक्षक हेतु आवेदन प्रपत्र, निर्धारित योग्यता, चयन हेतु विस्तृत नियम व शर्तो की जानकारी खण्ड कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते है।

(डॉ. महेन्द्र कुमार शर्मा)
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी
खण्ड कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

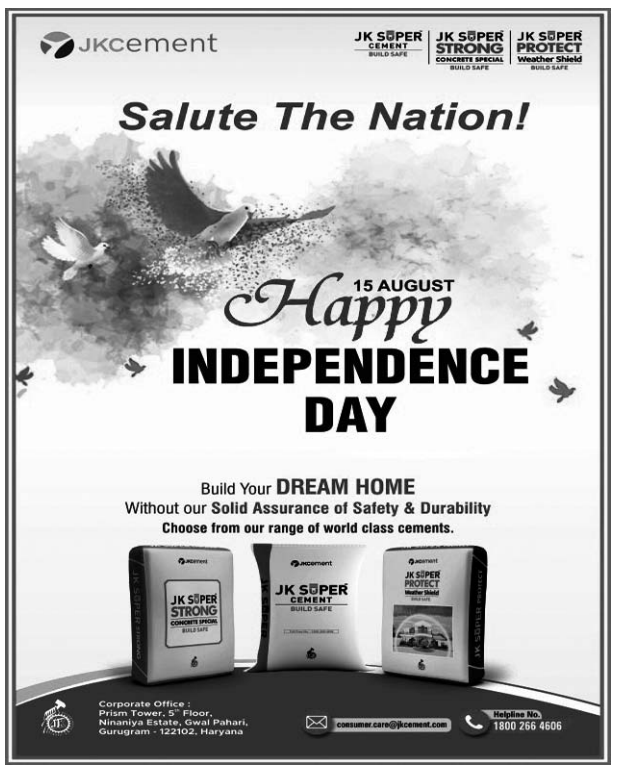

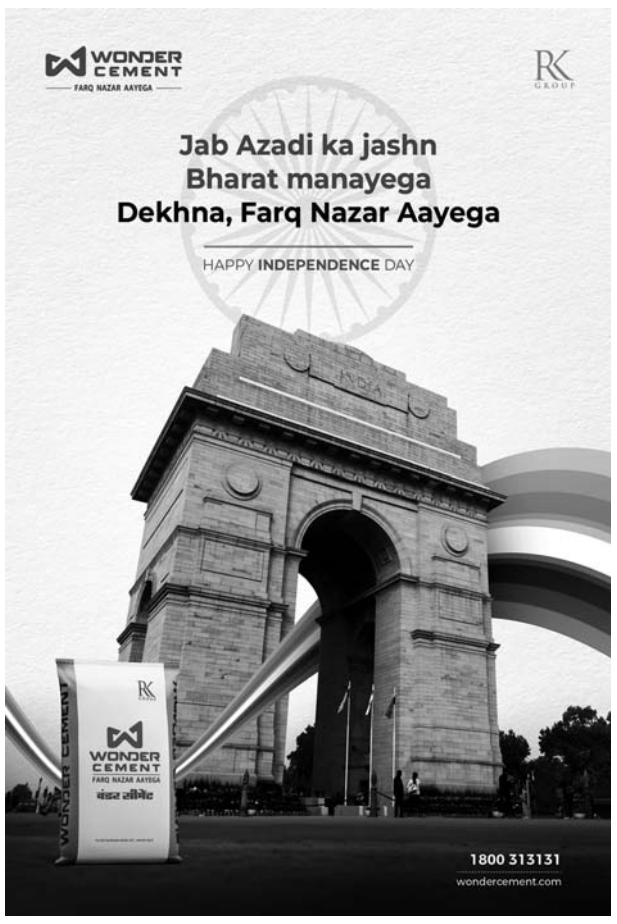

SBI भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

रासमेक, प्लॉट नं. 1, ब्लॉक-सी, प्रथम तल, सेन्ट्रल कॉमर्शियल एरिया परशुराम चौराहा के पास, उदयपुर, राजस्थान 313001
ई-मेल: sbi.31871@sbi.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि

निम्नहस्ताक्षरकर्ता **भारतीय स्टेट बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, ऋणी **श्री उमेन्द्र बहादुर श्रीवास्तव पुत्र श्री एस बी श्रीवास्तव** पर मांग सूचना **दिनांक 04.06.2024** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 03.06.2024 को बकाया राशि रू. 73,55,984.99 (रूपये तिहतर लाख पचपन हजार नौ सौ चौरासी एवं पैसे निन्यानवे मात्र) (दिनांक 03.06.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 09, माह अगस्त, वर्ष 2024** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उसमे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 03.06.2024 को बकाया राशि रू. 73,55,984.99 (रूपये तिहतर लाख पचपन हजार नौ सौ चौरासी एवं पैसे निन्यानवे मात्र) (दिनांक 03.06.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **भारतीय स्टेट बैंक, रासमेक, प्लॉट नं. 1, ब्लॉक-सी, प्रथम तल, सेन्ट्रल कॉमर्शियल एरिया, परशुराम चौराहा के पास, उदयपुर, राजस्थान 313001** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री उमेन्द्र बहादुर श्रीवास्तव पुत्र श्री एस बी श्रीवास्तव के नाम साम्यिक बंधक आवासीय मकान जो प्लॉट नं. 43, सूर्या एस्टेट, सेक्टर 11, खसरा नं. 153 से 167, राजस्व गांव सविना खेड़ा, जिला उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1800.00 वर्ग फीट है। **सीमाएं-** उत्तर: प्लॉट नं. 42, दक्षिण: प्लॉट नं. 44, पूर्व: प्लॉट नं. 58, पश्चिम: रोड़ 40 फीट चौड़ी

स्थान: उदयपुर
दिनांक: 09.08.2024

हस्ता.
प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कलालवाटी, राजनगर, जिला-राजसमन्द - 313324
Website: www.environment.rajasthan.gov.in E.mail: rorpcb.rajsamand@gmail.com

क्रमांक: राप्रनिमं / राजसमन्द / जनसुनवाई / 434 दिनांक: 12/08/2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई के लिये आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स मातृभूमि मार्बल्स द्वारा ग्रेनाईट माईनिंग प्रोजेक्ट, रेफरेन्स संख्या - 20211000048017, क्षेत्रफल - 3.0171 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता- 2,56,502 टीपीए (रोम), कलस्टर क्षेत्रफल - 6.7517 हैक्टेयर, खसरा संख्या- 9158, 9159, 9160, 9161, 9162, 9163, 9164, 9166, 9466, 9167, 9168, 9169, 9170, 9171, 9172, 9173, 9174, 9175, 9176, 9177, 9178, 9187, 9188, 9499/9188, निकट ग्राम- तलाबों की भागल, तहसील - खमनोर, जिला- राजसमन्द (राजस्थान) में प्रस्तावित है। कलस्टर में स्थित खनन पट्टे- (1). मैसर्स मातृभूमि मार्बल्स, रेफरेन्स संख्या - 20211000048017, क्षेत्रफल - 3.0171 हैक्टेयर, (2) श्री अशोक कुमार जैन, रेफरेन्स संख्या- 2018100001091, क्षेत्रफल 3.7346 हैक्टेयर है। उक्त खनन मय कलस्टर परियोजना से संबंधित प्रस्ताव बाबत् पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन स्टेट इनवायरमेन्ट इम्पेक्ट एसेसमेन्ट ऑथोरिटी, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 2. चूंकि मैसर्स मातृभूमि मार्बल्स द्वारा ग्रेनाईट माईनिंग प्रोजेक्ट खनन मय कलस्टर परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के साथ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 एवं समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसरण में सम्पूर्ण क्लस्टर की जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। 4. उक्त परियोजना से सम्बंधित पर्यावरणीय प्रभाव आकंलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: 1. कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द। 2. कार्यालय जिला परिषद्, राजसमन्द। 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल-4 पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर 5. कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, राजसमन्द। 6. कार्यालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमन्द खण्ड द्वितीय, राजसमन्द। 7. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ए. 209 भवन, महात्मा गाँधी रोड़ झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। 218, अरण्य 8. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, राजसमन्द। 9. उपखण्ड अधिकारी, कार्यालय, नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द। 10. तहसील कार्यालय, खमनोर, जिला-राजसमन्द। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की आप उक्त प्रस्तावित खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बधित जनसुनवाई हेतु दिनांक 20.09.2024 (शुक्रवार) को स्थान ग्राम पंचायत भवन - झालों की मदार, तहसील - खमनोर, जिला-राजसमंद में प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप प्रस्तुत कर सकतें है। इस सम्बंध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, राजसमन्द में भी प्रस्तुत कर सकते है।

भवदीय-क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं. राजसमंद

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कलालवाटी, राजनगर, जिला-राजसमन्द - 313324
Website: www.environment.rajasthan.gov.in E.mail: rorpcb.rajsamand@gmail.com

क्रमांक: राप्रनिमं / राजसमन्द / जनसुनवाई / 436 दिनांक: 12/08/2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई के लिये आम सूचना

1.सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री केलवा माइनिंग द्वारा मार्बल माईनिंग प्रोजेक्ट, रेफरेन्स संख्या - 20221000072136, क्षेत्रफल - 1.0856 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता- 1,46,0626 टीपीए (रोम) (मार्बल - 102218 टीपीए, वेस्ट-43808 टीपीए), कलस्टर क्षेत्रफल- 15.061 हैक्टेयर, खसरा संख्या- 5964/1915, 5957/1915, 5958/1915, 1916, 5960/1918, 5962/1918, निकट ग्राम- केलवा, तहसील एवं जिला- राजसमन्द (राजस्थान) में प्रस्तावित है। कलस्टर में स्थित खनन पट्टे (1) मैसर्स श्री केलवा माइनिंग, रेफरेन्स संख्या- 20221000072136, क्षेत्रफल - 1.0856 हैक्टेयर, (2) मैसर्स श्री केलवा माईनिंग, रेफरेन्स संख्या - 20191000010431, क्षेत्रफल 1.7314 हैक्टेयर, (3) मैसर्स श्रीमति अंजु लखावत, रेफरेन्स संख्या - 2019100006024, क्षेत्रफल - 2.5383 हैक्टेयर, (4) मैसर्स श्री राधवेन्द्र सिंह राठौड़, रेफरेन्स संख्या - 20201000019363, क्षेत्रफल - 2.1022 हैक्टेयर, (5) मैसर्स श्री वर्धमान माईनिंग प्रा.लि., रेफरेन्स संख्या 2019100002830, क्षेत्रफल - 3.3346 हैक्टेयर, (6) मैसर्स श्री बंग मार्बल प्रा.लि., रेफरेन्स संख्या- 20211000048735, क्षेत्रफल- 1.1345 हैक्टेयर, (7) मैसर्स श्री तलाई मार्मों, रेफरेन्स संख्या - 20221000063345, क्षेत्रफल- 3.1344 हेक्टेयर है। उक्त खनन मय कलस्टर परियोजना से संबंधित प्रस्ताव बाबत् पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन स्टेट इनवायरमेन्ट इम्पेक्ट एसेसमेन्ट ऑथोरिटी, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 2. चूंकि मैसर्स श्री केलवा माइनिंग द्वारा मार्बल माईनिंग प्रोजेक्ट खनन मय कलस्टर परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के साथ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 एवं समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसरण में सम्पूर्ण क्लस्टर की जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

4. उक्त परियोजना से सम्बधित पर्यावरणीय प्रभाव आर्कलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: 1. कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द। 2. कार्यालय जिला परिषद्, राजसमन्द। 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल-4 पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 5. कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, राजसमन्द। 6. कार्यालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमन्द - द्वितीय, राजसमन्द। 7. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ए. 209 218, अरण्य भवन, महात्मा गाँधी रोड़ झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। 8. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, राजसमंद। 9. उपखण्ड अधिकारी, कार्यालय राजसमन्द, जिला- राजसमन्द । 10. तहसील कार्यालय, राजसमन्द, जिला - राजसमन्द। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की आप उक्त प्रस्तावित खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बधित जनसुनवाई हेतु दिनांक 24.09.2024 (मंगलवार) को स्थान ग्राम पंचायत भवन- केलवा, तहसील एवं जिला - राजसमंद में प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप प्रस्तुत कर सकतें है। इस सम्बंध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, राजसमन्द में भी प्रस्तुत कर सकते है।

भवदीय-क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं. राजसमंद

कार्यालय जिला परिषद, उदयपुर

क्रमांक :जिपउ/लेखा/निविदा/2024/ दिनांक:-

सीमित निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2024-25 हेतु निम्न सामग्री/सेवा प्रदाताओं से सीमित निविदाएं प्राधिकृत डीलर, रजिस्टर्ड सेवा प्रदाता, एक मात्र वितरक, थोक विक्रेता, लघु उद्योगईकाइयां अथवा सुप्रसिद्ध विपणनकर्ता हो जो कि निम्न सामग्री/ सेवा से सम्बन्धित कार्य करते हो, से निम्नानुसार "निविदा प्रस्ताव बंद लिफाफे में आमंत्रित किये जाते है:-

क्र. सं.	सामग्री का विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)	निविदा प्रभार		निविदा विक्रय अंतिम तिथि व समय	निविदा फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि व समय
			फार्म शुल्क	धरोहर राशि			
1	फोटो कॉपी	1.00	400	2000	दिनांक 21.08.2024 को अपरान्ह 1.00 बजे तक	दिनांक 21.08.2024 को अपरान्ह 3.00 बजे तक	दिनांक 21.08.2024 को अपरान्ह 5.00 बजे तक
2	चाय नाश्ता एवं अल्पाहार	5.00	400	10000			
3	स्टेशनरी	5.00	400	10000			
4	टेन्ट व्यवस्था	2.00	400	4000			
5	मानव संसाधन	09.50	400	19000			
6	फ्लेक्स प्रीटिंग	2.00	400	4000			

निविदा सम्बन्धी समस्त जानकारी एसपीपीपी पोर्टल पर देखी जा सकती है। निविदा स्वीकार एवं अस्वीकार करने का समस्त अधिकार क्रय समिति को रहेगा।
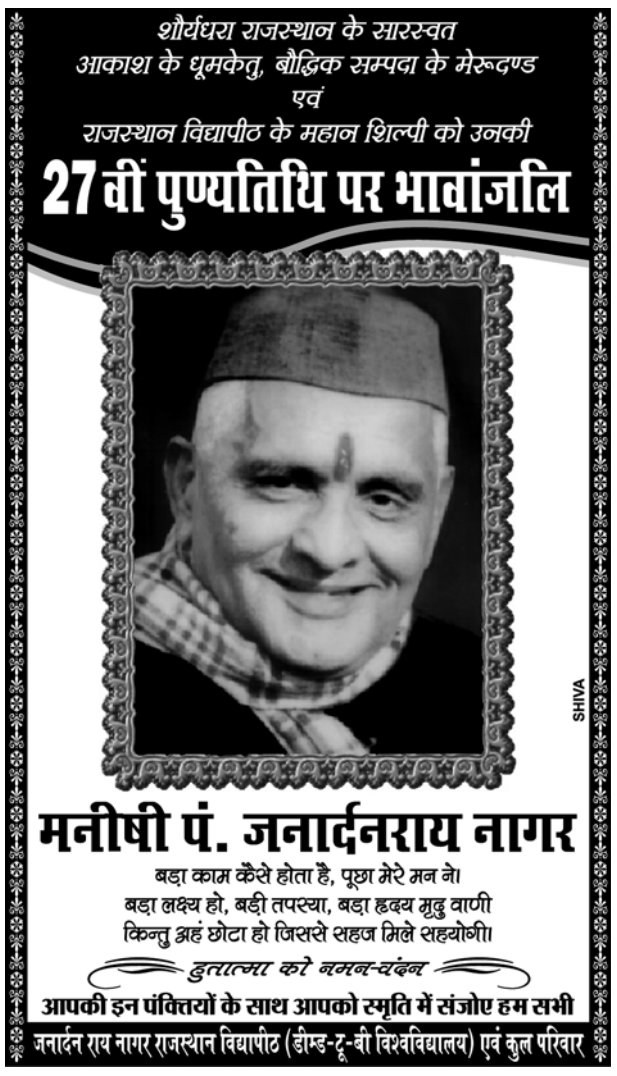
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, उदयपुर